

फार्म II
(विनियम 4 देखिए)
FORM II
(See Regulation 4)

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
Licence for the use of Standard Mark

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल - 9355284
LICENCE NO CM/L 9355284

1. यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

में. मुक्त पाईप लिमिटेड,
पटियाला रोड,
राजपुरा - 140 401 § पंजाब §

को (जिसे इनमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986 (63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s. Mukat Pipes Ltd.,
Patiala Road,
Rajpura-140 401 (Pb).

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताएं हैं जिसका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में है। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं के अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नियत फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of his obligations, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

22 अक्टूबर 2002

21 अक्टूबर 2003

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) से तक विधिमान्य रहेगी और विनियमों विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. The licence shall be valid from Twentysecond October Two Thousand Two to Twentyfirst October Two Thousand Three.

and may be renewed as prescribed in the Regulations.


आज के हज़ार दो के अक्टूबर मास के नवें दिन
हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित।

Signed, Sealed and Dated this Ninth day of October
Two thousand Two.

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

a. d. 20
उप महानिदेशक
Dy. Director General

प्रथम अनुसूची
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
<p>IS: 3589</p> 	<p>Steel Pipes for water and sewage submerged Arc welded (SAW) grades Fe 330 and Fe 410 for sizes Nominal OD 355.6mm to upto and including 1524mm</p> <p>पानी एवं जल मल के लिए अभिहित साइज़ ओ डी 355.6 मि.मी. से 1524 मि.मी. तक तथा सहित की स्टील पाइपें, निमग्न आर्क वेल्डित & एस ए डब्ल्यू & ग्रेड स्फ ई 330 एवं स्फ ई 410</p>	<p>IS 3589:2001 Specification for Steel Pipes for water and sewage (168.3 to 2 540 mm outside Diameter)</p> <p>भा. मा. 3589:2001 पानी एवं जल मल के लिए स्टील पाइपें & व्यास के बाहर 168.3 से 2.540 मि.मी. &- विशिष्ट</p>

द्वितीय अनुसूची

THE SECOND SCHEDULE
9355284

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल
के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची

SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO. CML.....
9355284

वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	संदाय की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
Steel Pipes for water and sewage, submerged Arc welded (SAW) grades Fe 330 and Fe 410 for sizes Nominal OD 355.6mm to upto and including 1524mm	One Tonne	Rs.7.20 per unit for all the units with a minimum of Rs. 24000/- during an operative period of one year.	<p>संदाय की रीति</p> <p>(क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण (नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).</p> <p>(ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए चिन्ह लगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी। Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked or the minimum fee, whichever is higher shall be payable at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable.</p>
पानी एवं जल मल के लिए अभिहित साइज़ ओ डी 355.6 मि. मी. से 1524 तक तथा सहित की स्टील पाइपें, निमग्न आर्क वेल्डित & एस ए डब्ल्यू & ग्रेड एफ ई 330 एवं एफ ई 410	एक टन	एक वर्ष की लागू अवधि के दौरान रु 7.20 प्रति इकाई की दर से सभी इकाईयों पर रु 24000/- न्यूनतम	



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NORTHERN REGIONAL OFFICE
Chandigarh Branch Office(MCM)

Address : SCO 335-336,
Sector 34-A,
Chandigarh
160022
Phones : 0172-2664750, 2602384
Fax : 0172-2602384,2602025
E-mail : mdch2@bis.org.in
Web : http://www.bis.org.in

ATTACHMENT TO LICENCE NO. CM/L- 9355284

<u>CML NO</u>	<u>NAME OF THE LICENSEE WITH ADDRESS</u>	<u>PRODUCT</u>	<u>IS NO</u>
9355284	MUKAT PIPES LTD PATIALA ROAD RAJPUR RAJPURA Punjab	Steel pipes for water and sewage (168.3 to 2 540 mm outside diameter) -	IS 3589 : 2001

ENDORSEMENT NO. 16

Dated 3 Nov, 2015

Renewed for a further period of one year from First November Two Thousand and Fifteen to Thirty First October Two Thousand and Sixteen.

Other terms and conditions of Licence remain the same.

Archana Rohela
(ARCHANA ROHELA)
SCIENTIST-E